



चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: गढ़पान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन - 325208

टेलीफोन नं.: 0744-2782915; फैक्स नं.: 07455-274130

कॉर्पोरेट कार्यालय: "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5 व्यावसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली - 110025

टेलीफोन नं.: *91-11-46581300, 41687900; फैक्स नं.: *91-11-40638639

ई-मेल: isc@chambal.in; वेबसाइट: www.chambalfertilisers.com

सीआईएन: L24124RJ1985PLC003293

अंशधारकों को सूचना

(I) वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 को 10:30 बजे पूर्वाह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय गढ़पान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन-325208 में स्थित 'मल्टी पर्पज हॉल' में, एजीएम के आयोजन की सूचना में लिहित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना दिनांकित 31 जुलाई 2015, जिसमें एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले साधारण एवं विशेष व्यवसायों का ब्योरा है, के साथ प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची एवं एजीएम के आयोजन स्थल का मार्ग मानचित्र तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट (I) उन सदस्यों को जिन्होंने कम्पनी अथवा अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराया हुआ है, ई-मेल द्वारा भेजे गये हैं; तथा (ii) जिन सदस्यों ने उक्त अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उन्हें अनुमत्य विधि से प्रेषित कर दिये गये हैं। कम्पनी ने एजीएम की सूचना का प्रेषण मंगलवार, 18 अगस्त 2015 को पूरा कर लिया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (नियम) एवं स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अनुबन्ध के खण्ड 35वीं के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं। कम्पनी ने एजीएम के आयोजन स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) हेतु नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") को सेवारत किया है। रिमोट ई-वोटिंग निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर उपलब्ध है तथा एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। अधिनियम के प्रावधानों एवं नियम के अनुसार अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं।

- रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 11 सितम्बर 2015 को प्रारम्भ होगी (प्रातः 9:00 बजे)
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 14 सितम्बर 2015 को समाप्त होगी (सायं 5:00 बजे) एवं रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति कथित लिथि तथा समय के पश्चात् नहीं होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में वोटिंग की योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 8 सितम्बर 2015 है। केवल वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुसूचित लाभभोगी स्वामियों की सूची में (डी मैटेरिएलाइज्ड तौर पर शेयर धारण के सम्बन्ध में) कट-ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर 2015 को दर्ज हो, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा अथवा एजीएम में मतदान करने का पात्र होगा।
- वह व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 8 सितम्बर 2015 को शेयर धारक होता है वह evoting.nsdl.co.in अथवा isc@chambal.in पर आवेदन कर यूजर आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है अथवा टॉल फ्री दूरभाष संख्या 1800-222-990 पर कॉल कर सकता है।
- मत-पत्र द्वारा भी वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान न किया हो, एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
- सदस्य अपने रिमोट ई-वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें एजीएम में पुनः वोट करने की अनुमति नहीं होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत हेतु सदस्य श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल कम्पाउण्ड, सेनापति बाघट मार्ग, लॉअर परेल, मुम्बई-400 013 से नामित ई-मेल पता: evoting@nsdl.co.in अथवा rajivr@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नं. 022-2499 4600 / 022-2499 4738 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कम्पनी के प्रबन्धक सेक्रेटेरियल श्री आर. के. जैन से नामित ई-मेल पता: isc@chambal.in अथवा कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय के ऊपर उल्लेखित पते एवं टेलीफोन नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(II) पुस्तक बन्दी की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91(1) के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 एवं स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध अनुबन्ध के खण्ड 16 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें मंगलवार, 1 सितम्बर 2015 से बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015 (दोनों दिवस शामिल) तक शेयरधारकों को समता शेयरों पर लाभांश की अदायगी के निर्धारण के उद्देश्य से बन्द रहेंगे। लाभांश का भुगतान, यदि कम्पनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में घोषित किया जाता है तो, उन अंशधारकों को किया जाएगा जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 3 सितम्बर 2015 को (कम्पनी द्वारा सोमवार दिनांक 31 अगस्त 2015 तक प्राप्त वैध शेयर हस्तांतरण कागजातों को प्रभाव में लाने के उपरान्त) अथवा 31 अगस्त 2015 को व्यवसाय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत लाभ भोगी स्वामियों के विवरण में प्रकट हो।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड